[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1क	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 1 में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1";

(iii) क्रम संख्या 6ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6घ	39, 73	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल:- (i) बैट्री कवर	10%	1

		(ii) फ्रंट कवर (iii) मिडल कवर (iv) मुख्य लैंस (v) बैक कवर (vi) जीएसएम एन्टीना/किसी प्रौद्योगिकी का एन्टीना (vii) पीयू केस/सिलिंग गास्केट - पालीयूरेथेन फोम की अन्य वस्तुएं, जैसे सिलिंग गास्केट/केस (viii) पीई, पीपी, ईपीएस, पीसी से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक पालीमर या संयोजन/पालीमरों के संयोजन (ix) सिम साकेट (x) पेच (xi) प्लास्टिक की अन्य यांत्रिक मदें (xii) धातु की अन्य यांत्रिक मदें		
6ङ.	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6घ में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6च	39	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल:- (i) कंडक्टिव क्लाथ (ii) एलसीडी कंडक्टिव फोम (iii) एलसीडी फोम (iv) बीटी फोम (v) हीट डिसीपैशन स्टीकर बैटरी कवर (vi) स्टीकर बैटरी स्लाट (vii) मुख्य लैंस के लिए संरक्षा फिल्म (viii) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलार (ix) फिल्म फ्रंट फ्लैश	10%	1

6छ	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6च में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6ज	8538 90 00	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए साइड की	10%	1
6झ	कोई अध्याय	पूर्वोक्त 6ज में वर्णित माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
6ञ	8517 79 90	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी माल	10%	1";

(iv) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii), (x), (xi), (xxiv), और (xxvi) का लोप किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/190/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(विक्रम विजय वानरे)
अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 71 (अ), दिनांक 01 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।